

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 699]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 2 सितम्बर 2025 — भाद्र 11, शक 1947

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्र. No.GENCOR/7698/2025-URBAN.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा नगर पंचायत पलारी, जिला— बालोद हेतु निम्न वर्णित अनुसूची अनुसार आरक्षित वार्डों की सूची अधिसूचित करता है :-

अनुसूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	15	संत गुरु घांसीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	14	मां दन्तेश्वरी वार्ड
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	इंदिरा गांधी वार्ड
		07	संत श्री अभिलाष दास वार्ड
		09	कृष्णा वार्ड
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग(महिला)	08	ओंकारेश्वर वार्ड
		11	महात्मा गांधी वार्ड
5.	महिला वर्ग	03	पं. अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड
		06	मां कर्मा वार्ड
		13	श्री राम नगर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 सितम्बर 2025

क्र. No.GENCOR/7698/2025-URBAN.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.09.2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 2nd September 2025

NOTIFICATION

No.GENCOR/7698/2025-URBAN.— In exercise of the powers conferred by rule 7 of Chhattisgarh Municipalities (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 the State Government hereby notify the list of reserved ward of Nagar Panchayat Palari, Distt- Balod as per the schedule given below:-

SCHEDULE

Sl.No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	15	SANT GURU GHASIDAS WARD
2.	Scheduled Tribe	14	MAA DANTESHWARI WARD
3.	Other Backward Class	04	INDIRA GANDHI WARD
		07	SANT SHRI ABHILASH DAS WARD
		09	KRISHNA WARD
4.	Other Backward Class (Female)	08	OMKARESHWAR WARD
		11	MAHATMA GANDHI WARD
5.	Female	03	PT. ATAL BIHARI VAJPAYEE WARD
		06	MAA KRMA WARD
		13	SHRI RAM NAGAR WARD

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.